की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

19|8|2019

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल दण्डाधिकारी,राजमहल।
क्रि०मि० नं0 627/2019
प्रथम पक्ष– खालेक शेख
बनाम
द्वितीय पक्ष– मजहर शेख वगै0
द0 प्र0 स0 की धारा 145 के अधीन कार्यवाही
आदेश

आवेदक द्वारा दिनांक 15.10.2018 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है, जिससे संतुष्ट होकर उक्त विवाद पर दं0प्र0सं0 की धारा 145 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी			
			उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
प्राणपुर	1101, 1102 एवं 1115	11–00–16	हसमुद्दीन शेख	मौजा श्रीधर सीमाना	अब्दुल कलाम	आवेदक नीज

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा– प्राणपुर, जमाबंदी नं0– 334, दाग नं0– 1101, 1102 एवं 1115, कुल रकवा 11 बीघा 16 धूर जमीन आवेदक के पिता ने निबंधित केवाला के द्वारा जबेद अली से दिनांक 26.12.1978 से क्रय कर प्राप्त किये हैं। आवेदक शांतिप्रिय व कानून को मानने वाला व्यक्ति है। विपक्षीगण उदंड, मनबढ़ू, लठियल, असामाजिक तथा षडयंत्रकारी व्यक्ति है, जो कानून को अपने हाथ में लेकर आवेदक को परेशान किये हुए हैं। उक्त जमीन खरीदगी के पश्चात आवेदक के पिता के भोग दखल में चला आ रहा था। आवेदक के पिता के मृत्युपरांत उक्त वर्णित जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा व स्वामित्व में है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आवेदक ने उक्त वर्णित जमीन पर धान का फसल लगाया है। वर्तमान में विपक्षीगण आपस में षडयंत्र रचकर आवेदक की जमीन को हड़पने का प्लान बना लिये हैं तथा समाज में कह रहें हैं कि इस बार धान का फसल हमलोग काटेंगें और जो रोकेगा उसकी हत्या कर देंगें। दिनांक 14.10.2018 को विपक्षीगण आवेदक के वर्णित जमीन पर आ गये, उस समय आवेदक खेत देखने गया हुआ था, तो विपक्षीगण ने आवेदक को धमकी देकर कहा कि साले जल्दी भागो नही तो मर्डर कर देंगे और आवेदक को गंदी–गंदी गाली देते हुए जान से मारने के लिए दौड़ाये। जिसपर आवेदक किसी तरह अपनी जान बचाकर भागें। जिससे शांति भंग की संभावना विपक्षीगणों से बनी हुयी है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

जबाब में द्वितीय पक्ष अपने विद्वान द्वारा अपने कारण पृच्छा में प्रथम पक्ष द्वारा लाया गया वाद बेबुनियाद है। प्रथम पक्ष सही तथ्यों को छिपाकर उक्त वाद लाये हैं। प्रथम पक्ष का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अधिकर, स्वत्व व दखल नहीं है। केवल प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को परेशान करने की नीयत से यह वाद लाये हैं। मौजा– प्राणपुर के जमाबंदी नं0– 334, दाग नं0–

Scanned with CamScanner

1101, 1102, 1115, 976, 1008 एवं 1009 से कुल रकवा 28 बीघा 10 कट्ठा 08 धूर जमीन खतियानी रैयत महेदन बीबी के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत महेदन बीबी नावल्द मृत है। महेदन बीबी अपने जीवन काल में अपने हिस्से की जमीन निबंधित हेवानामा दलिल नं0– 2624, दिनांक 08.12.1976 के द्वारा अपने छोटे भाई के पुत्र मोसेन अली और अजहर अली को दे दी थी। खतियानी रैयत जावेद अली विश्वास के हिस्से में भी मौजा प्राणपुर के जमाबंदी नं0– 334, दाग नं0– 1101, 1115, 1102, 976, 1008 एवं 1009 से कुल रकवा 03 एकड़ 11 डिसमिल जमीन बराबर 09 बीघा 06 कट्ठा 10 धूर है तथा जावेद अली ने कभी भी किसी के पास उपरोक्त जमीन किसी भी परिस्थिति में बिक्री नहीं किया है तथा जावेद अली विश्वास के मरने के बाद उनका वंशज दखलकार बने और वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सदस्यगण शांतिपूर्वक फसल उपजा कर उपभोग करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष जाली केवाला के जरिये अनुसूची की जमीन पर गलत दावा करने लगे हैं। परन्तु जावेद अली ने अपने जीवन काल में कभी भी बंगाल अपने जमीन की बिक्री करने नहीं गये हैं। क्योंकि जावेद अली सन् 1978 के पूर्व ही मर चुके थे। तैमुर शेख ने अपने सगी जमीन की बिक्री करने के पश्चात किसी दूसरे आदमी को कलियाचक बंगाल में रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ा करके फर्जी केवाला जावेद अली के नाम से बनवाया है। इसका प्रमाण यह है कि महम्मद जावेदल अली ने अपनी बेटी मोमताज बीबी के पक्ष में दो बीघा जमीन देकर हेवानामा दलिल बनाया था, जो दिनांक 28.12.1964 का है और उस दलिल में महम्मद जावेद अली विश्वास ने अपना हस्ताक्षर किया है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि तैमुर शेख के नाम का दलिल नं0– 6823 दिनांक 26.12.1978 के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है। इसलिए तैमुर शेख का दलिल फर्जी व शून्य है। मृत जावेद अली विश्वास का पुत्र मंजुर शेख ने निबंधित दलिल नं0– 6063, दिनांक 08.10.1971 को शिवचरण मंडल से पलासगाछी मौजा का जमीन खरीदा है। इस केवाला में भी पिता मृत जावेद अली विश्वास लिखा हुआ है। उपरोक्त प्रमाण से यह स्पष्ट है कि तैमुर शेख ने किसी दूसरे आदमी को खड़ा करके केवाला लिखवाया है। जो बिलकूल जारी है। तैमुर शेख की मृत्यू के पश्चात उसकी पत्नी आरमानी बीबी और पुत्र खालेक शेख और जसमुद्दीन शेख ने गलत रूप से अनुसूची में दिये गये जमीन का आम मोख्तारनामा दलिल नं0– IV-73/2018 दिनांक 09.10.2018 को निष्पादित किया है और गलत एवं अवैध रूप से अनुसूची की जमीन को देखभाल एवं विक्रय करने का अधिकार दिया है, जो कि बंगाल पावरनामा है। परन्तु जमीन झारखण्ड सरकार के अधीन है तथा दो पक्षों का आम मोख्तारनामा लेने वाला और देने वाला का घर झारखण्ड में है और उनलोगों का मकान बंगाल में नहीं है साथ ही सन् 1991 से झारखण्ड की जमीन की बिक्री आम मोख्तारनामा दलिल का निष्पादन बंगाल में नहीं हो सकता है। उक्त आम मोख्तारनामा दलिल भी शुन्य है और केवल द्वितीय पक्ष के जमीन को हड़पने की साजिश है। प्रथम पक्ष का दावा बिल्कुल निराधार है तथा किसी भी प्रकार की शांति भंग की संभावना नहीं है। केवल प्रथम पक्ष की बदनियति है। जब प्रथम पक्ष किसी दूसरे को आम मोख्तारनामा दस्तावेज बनाकर अनुसूची की जमीन को दिया है तो अब खालेक शेख को उक्त केस करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अतएव उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त करते हुए द्वितीय पक्ष के पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक 255/रा0 दिनांक 04.04.2019

Scanned with CamScanner

द्वारा उन्होंने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदक खालेक शेख पे0–स्व0 तैमुर शेख, सा0–निमाईटोला पलासगाछी ने विपक्षी मजहर शेख पे0–जावेद अली एवं अन्य 17 सा0–प्राणपुर कमलुटोला पर मौजा प्राणपुर दियरा के दाग न0 1101, 1102 एवं 1115 पर धारा 144 लागु करने हेतु श्रीमान के कार्यालय में आवेदन दायर किया है। प्रश्नगत दाग पर विपक्षी मजहर शेख का 1970 के पूर्व से ही शांतिपूर्ण दखल करते आ रहे है। आवेदक ने ही जाली दस्तावेज तैयार कर विपक्षी को परेशान करने की कोशिश की है। आवेदक ने निबंधित केवाला द्वारा दिनांक 16.12.1978 को जावेद अली पिता–स्व0 बाबु शेख से भूमि क्रय किया है, जबकि जावेद अली की मृत्यु 1969 में ही हो चुकी थी। इसका प्रमाण जावेद अली के पुत्र ने अपने नाम से तीन निबंधित केवाला एवं विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र द्वारा सुस्पष्ट प्रस्तुत किया है, इन सभी दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जावेद अली की मृत्यु 1978 के पूर्व ही हो चुकी थी, आवेदक द्वारा सत्यापित केवाला ही संदेहास्पद प्रतीत होता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये सूचीबद्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा प्राणपुर दियरा के खतियानी रैयत जावेद अली विश्वास वो हफीजुद्दीन शेख पे0– बाबु शेख वगै0 के नाम से जमाबंदी न0 334 तौजी न0 689 जि0एल0 न0 18 के अन्दर दाग न0 1101,1102 एवं 1115 कुल रकवा 07.41 डीसमील जमीन पर्चा में दर्ज है। खतियानी रैयत जावेद अली विश्वास एवं हफीजुद्दीन शेख के द्वितीय पक्ष मजहर शेख, अजहर शेख मोहसेन शेख, हुँमायुन शेख, समाउन शेख वगैरह सा0– प्राणपुर चामाग्राम, थाना–राधानगर वारिशान है। जो संबंधित भूमि पर जोत आबाद एवं दखल भोग करते आ रहे है।

उपयुर्क्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि मौजा प्राणपुर के दाग न0 1101, 1102 एवं 1105 कुल रकवा 11–00–16 धूर जमीन द्वितीय पक्ष के दखल एवं सरोकार में प्रतीत होता है।

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल कागजात से यह स्पष्ट होता है कि विवाद स्वत्व एवं अधिकार को लेकर है। अंचल अधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि द्वितीय पक्ष के शांतिपूर्ण दखल में है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर दं0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत् कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner